भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नण सं.1111

(13 दिसंबर, 2022 को उत्त.र दिए जाने के लिए)

मनरेगा योजना के तहत निर्माण एवं प्रशासनिक मदों का बकाया

1111. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत , विशेषरूप से राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिले में राज्य स्तर पर 'निर्माण कार्य मद' और 'प्रशासनिक मद' में सरकार द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से बकाया देय राशि का भुगतान कब तक किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार इन चूकों के लिए जिम्मेदार है और यदि हां , तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले आठ वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दोनों जिलों में मनरेगा योजना के तहत कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्त र

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): राजस्थान राज्य सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार , राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत सामग्री घटक की लंबित देयता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

जिला	सामग्री घटक के लिए लंबित देयता (रु. करोड़ में)
टोंक	6.27
सवाई माधोपुर	7.14

राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में दिनांक 10.12.2022 को प्रशासनिक घटक के लिए कोई लंबित देयता नहीं है।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियां जारी करने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करते हैं। यह मंत्रालय "स्वीकृत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्य द्वारा संगत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन दो खेपों में निधियां आवधिक रूप से जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक खेप में एक या इससे अधिक किस्तें शामिल होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर कार्य की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाता है ओर योजना के अंतर्गत सामग्री एवं प्रशासनिक घटक के लिए निधियां राज्य के खजाने में जारी की जाती है

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत न तो जिला-वार निधि स्वीकृत की जाती है और न ही ज़िलों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं।

*****